

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो0-39/2025- 20 बजट

पटना, दिनांक- 06. फरवरी, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,  
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

उप निदेशक, ईख विकास, पटना,  
सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा/बेतिया/मोतिहारी/गोपालगंज/  
सिवान/सीतामढ़ी/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/पुर्णियाँ/  
भागलपुर/सहरसा/जमुई/आरा/पटना।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े का वाहन के लिए कुल 50.00 लाख रू0 (पचास लाख रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-638 स्वी0/सी.सी. दिनांक-03.02.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े का वाहन के लिए कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 50.00 लाख रू0 मात्र के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235/वि. दिनांक-01.04.2025 के आलोक में शत प्रतिशत राशि कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये मात्र का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार श्रेणीवार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये मात्र वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्षों से श्रेणीवार विकलनीय होगा-

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	स्वीकृत राशि (लाख रू0)	शत प्रतिशत आवंटित राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	50.00	50.00	50.00

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि. दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।


4. उक्त योजनांतर्गत व्यय की गई राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. विषय शीर्षों में आवंटित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।


अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन

  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-यो0-39/2025- 20 बजर /पटना, दिनांक- 06. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को विवरणी सहित/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मोतीहारी/ गोपालगंज/सिवान/सीतामढ़ी/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/पूर्णियाँ/ भागलपुर/ सहरसा/ जमुई/ भोजपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-यो0-39/2025- 20 बजर /पटना, दिनांक- 06. फरवरी, 2026


प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं सी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आवंटन अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-यो0-39/2025- 20 बजर /पटना, दिनांक- 06. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए भाड़े का वाहन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार आवंटित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)

क्र0सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष- 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	
		विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन	
		सामान्य	
		भौतिक (संख्या में)	वित्तीय
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	1	4.00
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	1	4.00
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	1	4.00
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	1	4.00
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	1	4.00
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	1	4.50
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	1	4.75
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	1	2.00
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	1	4.00
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पुर्णियाँ	1	2.00
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	1	2.25
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	1	2.00
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	1	2.00
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	1	1.50
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1	4.00
16	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	1	1.00
	कुल योग	16	50.00

  
ईखायुक्त, बिहार।